न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 232/2013
GCMS NO. : 2013/00283

–:: प्रार्थीगण ::–

1. झणकारी पुत्री भोमाराम
2. सीतादेवी पुत्री भोमाराम
3. जैनी पुत्री भोमाराम के का०मु०
   3/1. बगदाराम पुत्र मांगीलाल
   3/2. जगदीश पुत्र मांगीलाल
   3/3. नेमाराम पुत्र मांगीलाल
   3/4. कमली पुत्री मांगीलाल
4. नर्बदा पुत्री भोमाराम
5. लाडू पुत्री भोमारा के का०मु०
   5/1– अबाराम पुत्र लाबूराम
   जातियान– बावरी, निवासीगण– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. मगनभाई पुत्र बलवन्तभाई परमार जाति– चमार, निवासी– सांखरी, तहसील– पाटन, जिला– पाटन(गुजरात) हाल ग्राम– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 06/08/2013**

उपस्थित:. 1. श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 30/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा डिगरना तहसील जैतारण में सायलान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की सयुंक्त भूमि निम्न खसरान् की आई हुई है। खसरा नम्बर 725 रकबा 03–12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 726 रकबा 03–16 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 800/3 रकबा 02–10 बीघा किस्म गैरमुमकिन, खसरा नम्बर 805/2 रकबा 05–00 बीघा किस्म गै०मु०, खसरा नम्बर 806 रकबा 02–15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 810 रकबा 05–07 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1211/800 रकबा 15–19 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 07 रकबा 38–19 बीघा। प्रस्तुत वंशावली के अनुसार मृतक भोमाराम के जायन्दा के पुत्र व पांच पुत्रीयां है। उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होनें से इन सभी का हक एवं हिस्सा आता हैं। वक्त से[illegible] 1955 में उक्त भूमि का पर्चा लगान सायलान के पिता मृतक भोमाराम के नाम [illegible] हुआ, मृतक भोमाराम के फौत होनें पर नामान्तरण संख्या 835 में मृतक भोमा के स्थान पर बस्ता पुत्र भोमा बावरी जमाबन्दी सम्वत् 2053–2056 में दर्ज कर दिया जो गलत हैं। जबकि भोमा के जायन्दा पांचों पुत्रीयों सायलान का नाम भी विरासत के नामान्तरण के जरिये दर्ज करना था। पटवारी एवं भू निरीक्षक व प्रतिवादी संख्या तीन बस्ता से सांठ गांठ कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बस्ता अकेले का नाम बिना किसी जांच किये राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया। जो एक गलत इन्द्राज की तारीफ में आता है। पिछले 17 वर्षो से बस्ता का नाम बतौर रोन्ग [illegible]ी के राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा है। उक्त विवादित भूमि को बस्ता द्वारा भोगने व काश्त करनें का अधिकार था। उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होनें से पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारीयों के नाम होनी थी, लेकिन प्रतिवादी संख्या तीन बस्ता जो सायलान के भाई है। जिन्होनें उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या दो को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 20.08.2011 को व दिनांक 05.12.2011 को बैचान कर दी जबकि प्रतिवादी संख्या संख्या तीन बस्ता को उक्त भूमि को बैचान करनें का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। फिर प्रतिवादी संख्या दो ने उक्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या चार को बैचान कर दी फिर प्रतिवादी संख्या चार ने गैर संख्या एक को आगे से आगे दिनांक 05.05.2013 को बैचान कर दी जबकि मौके पर सायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रतिवादी संख्या तीन बस्ता ने उक्त भूमि बाले अपने पुत्रों व अपनी बहनों को बिना पूछे ही बैचान कर दी प्रतिवादी संख्या तीन बस्ता अनपढ़ अनुसूचित जाति का वृद्ध व्यक्ति होनें से तथा भोलेमन का होने से प्रतिवादी संख्या तीन के परिवार के सदस्यों के बाले बाले उक्त विवादित भूमि का बैचान भू-माफिया द्वारा करवाया गया। जो विधि विरूद्ध होनें से काबिल खारिज के है। दिनांक 27.07.2013 को उक्त विवादित भूमि पर गैर सायल व उनके आदमी गुण्डागर्दी कर तारबन्दी करनें की कोशिश करने लगे तब सायलान ने गैरसायल के आदमीयों को मना किया तब गैर सायल के आदमी मजदूर सायलान व इनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करनें पर उतारू हो गये और वापिस जाते वक्त ऐलानिया कहा कि आज तो आप सायलान ने मुण्डा गड्डी व तारबन्दी नहीं करनें दी, लेकिन हम गैर सायलान के मजदूर रात बिरात तारबन्दी कर कब्जा कर लेगें। जबकि गैरसायल व इनके मजदूरों को ऐसा करनें का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त विवादित भूमि की खातेदारी वक्त सेटलमेन्ट से सायलान के पिता भोमा के नाम सम्वत् 2053 से तक चली आ रही थी। भोमा की मृत्यु होनें पर इनके पुत्र बस्ता अकेले के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। जबकि सायलान के नाम दर्ज करनी थी। रोन्ग एन्ट्री का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या तीन बस्ता ने बैचान गलत किया है। इसलिए उक्त विवादित भूमि की रजिस्ट्री विधि विरूद्ध होनें से स्वतः ही निरस्त होने योग्य है, जो निरस्त की जाकर प्रत्येक सायलान को 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करनें से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें। यदि गैरसायल नाजायज तौर से उक्त विवादित भूमि पर कब्जा कर तारबन्दी करने की कोशिश करेगें तो सायलान व इनके परिवार के सदस्य किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करनें देगें। यदि गैर सायल जबरदस्ती कब्जा कर तारबन्दी करेगें तो आपस में झगड़ा होगा तथा मौके पर तनाव पैदा होगा और जानमाल का अन्देशा बना हुआ है। इ[illegible]ैर सायल को विवादित भूमि पर कब्जा करने व तारबन्दी करनें से [illegible] संख्या एक में वर्णित भूमि पैतृक पुश्तैनी होने से प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बहुत ही मजबुत है। यदि गैर सायल नाजायज तौर से उक्त विवादित भूमि पर कब्जा कर तारबन्दी की कोशिश करेगें तो सायलान व इनके परिवार के सदस्य किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करनें देगें। यदि गैरसायलन जबरदस्ती कब्जा कर तारबन्दी करेगें तो आपस झगड़ा होगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तथा मौके पर तनाव पैदा होगा और जानमाल का अन्देशा बना हुआ है एवं सायलान को गैरसायलान के विरूद्ध विविध प्रकार के मुकदमें करनें पड़ेगें। जिससे सायलान को अपूरणीय नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायल किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगें एवं मौके पर कब्जाकाश्त सायलान का होनें से सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिये गैर सायल को विवादित भूमि पर कब्जा करनें व तारबन्दी करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र मय दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में वर्णित भूमि पर सायल व इनके परिवार के सदस्य, हाली, एजेन्ट आदि काश्त करे व काश्त के मुतालिक कुल कार्य करें तो उसमें गैर स्वयं व इनके नौकर चाकर मजदूर आदि किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व गैर सायलान किसी प्रकार से कब्जा नहीं करें दीवार नहीं बनावें तारबन्दी नहीं करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा रोका जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी ने वकालतनामा पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थी ने जवाब दावा पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार राजस्व मौजा डिगरना में पटवार हल्का डिगरना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण में इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि आई होने के तथ्य इस पद में वर्णित अनुसार असत्य होने से अस्वीकार है वास्तविकता में इस पद मे वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि बस्ताराम पुत्र भोमाराम जी बावरी की स्वअर्जित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी तथा मौके पर भी वर्षो पूर्व से ही उक्त बस्ताराम का ही कब्जा एवं हक अधिकार चला आ रहा था। तत्पश्चात उक्त बस्ताराम ने अपने घर परिवार की जायज जरूरत हेतु इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का बैचान जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख के जवाब देहन्दा को किया है, साथ ही वक्त बैचान के उक्त बस्ताराम ने प्रतिफल की राशि प्राप्त कर ली है। इस प्रकार से सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों अनुसार इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का बैचान हो जाने से राजस्व न्यायालय को पंजीबद्ध बैचाननामा के असतित्व में रहते हुये इस प्रकरण में कोई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट के समय से ही गैरसायल संख्या 03 बस्ताराम बावरी का कब्जा एवं हक अधिकार था तथा राजस्व रेकर्ड में भी बस्ताराम का ही नाम दर्ज था। जिसकी सायलान को भलीभांति जानकारी थी। मौके से सायलान सेटलमेन्ट के समय से ही आउट ऑफ पजेशन रहे है। इस प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एवं एडवर्स पजेशन के सिद्धान्तानुसार इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का एक मात्र मालिक व भौक्ता बस्ताराम हो गया था तथा राजस्थान काश्तका[illegible]नियम के प्रभाव में आने से ही मौके पर काबिज काश्तकार वस्ताराम [illegible] में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों के बाबत सायलान किसी भी प्र[illegible]क अधीकारो रही है। उक्त सभी अपने ससुराल की चल अचल सम्पतिया प्राप्त [illegible] ली है, साथ ही बस्ताराम एवं भोमाराम ने झणकारी देवी वगैरा की शादी गौना कर दिये थे। एवं समय समय पर अन्य सामाजिक दायित्व भी बस्ताराम ने पूर्ण किये। इस प्रकार से झणकारी देवी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अन्य ने भोमाराम की चल अचल जायदाद भोमाराम के जीवनकाल में ही हिस्सा प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर मात्र वरताराम का ही कब्जा एवं हक अधिकार रहा था। इस वजह से सायलान इस प्रार्थना पत्र के जरिये घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की कतई अधीकारीणी नहीं होने से सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावें। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने के कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस प्रकार से सायलान जवाब देहन्दा के विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही ह । इसलिए सायलान की ओर से प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष सायलान प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। साथ ही इस पद में वर्णित वंशावाली से भी इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का कोई सम्बन्ध नही है। सायलान ने इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को पैतृक पुश्तैनी होना झूठा अंकित किया है। सन् 1955 में भी इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर वस्ताराम का ही कब्जा एवं हक अधिकार था। इस प्रकार से केवल मात्र नामान्तकरण संख्या 835 से बस्ताराम को हक अधिकार नही मिलकर सेटलमेन्ट से कब्जे काश्त के आधार पर बस्ताराम को इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर स्वामित्व व हक अधिकार मिला था तथा बस्ताराम की इस खातेदारी भूमि पर सायलान को किसी भी प्रकार से कोई स्वामित्व व हक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही विधिक प्रावधानों के अनुसार सही की गई थी। इस प्रकार से मौके पर वक्त सेटलमेन्ट से लगायत आज दिन तक कभी सायलान का काई कब्जा व हक अधिकार नहीं रहा है। इस प्रकार से सायलान जवाब देहन्दा के विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई अनुतोष प्राप्त करनें के अधिकारी नही है। वंश वंशावली से भी इस विवाद का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये सायलान की ओर से प्रस्तुत इस प्रार्थना में चाहा गया अनुतोष सायलान प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं होनें से सायलान की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होनें से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होनें से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तथ्य पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होनें से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर सायलान का कभी भी काबिज नहीं हुये थे। बल्कि वक्त सेटलमेन्ट के समय से ही इस भूमि पर बस्ताराम बावरी ही काबिज था। तत्पश्चात गैरसायल संख्या 03 बस्ताराम द्वारा अपने जायज जरूरत हेतु उक्त भूमि का बैचान जवाब देहन्दा व अन्य [illegible] 2011 में करते हुये मौके पर जवाब देहन्दा को कब्जा सौंप दिया था। इस प्रकार [illegible] पत्र में वर्णित भूमि से सायलान का कोई सम्बन्ध नही है तथा भूमि [illegible] रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार बस्ताराम द्वारा वर्ष 2011 में ही पंजीबद्ध बैचान विलेख के वैधानिकता एवं खारिज करनें बाबत् श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसी प्रकार गैरसायल संख्या 02 व 04 ने भी अपनी खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सुदा इस प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा नम्बरान् का आगामी बैचान जवाब देहन्दा
गैरसायल संख्या 01 को करते हुये मौका पर कब्जा सौंप दिया है। सायलान की ओर
से अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थनापत्र दिनांक 06.08.2013 को पेश किया गया है।
जबकि इस पद में उल्लेखित पंजिबद्ध बैचान विलेख पूर्ववर्ती है, साथ ही पंजीबद्ध बैचान
विलेख के समय ही कब्जे का हस्तान्तरण भी जवाब देहन्दा को कर दिया जाने से इस
पद में वर्णित अनुसार सायलान का मौके पर कब्जा काश्त होने के कथन कतई गलत
है। साथ ही इस पद में सायलान ने यह भी लिखा कि बस्ताराम द्वारा किये गये बैचान
में बस्ताराम के पुत्री व बहनो की सहमति नही थी। उक्त सहमति से सम्बन्धित लगाये
गये आरोप भी कतई असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रकार से इस पद में वर्णित
अनुसार बस्ताराम द्वारा किये गये वैचान के अवैधानिक होने से सम्बन्धित लगाये गये
आरोप व किये गये कथन असत्य झूठे व बेनियाद होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के
अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य झूढे येवूनियाद होने से अस्वीकार है।
प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तथ्य पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से
अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि को भूमि के खातेदार
वस्ताराम ने अपनी जायज जरूरत हेतु वर्ष 2011 में ही बैचान कर दिया था। व मौके
पर कब्जा भी विकेतागण को सौप दिया था। इस प्रकार से बैचान के बाद इस प्रार्थना
पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर जब विकेता वस्ताराम का ही कब्जा नही
रहा तो इस पद में वर्णित अनुसार सायलान द्वारा लगाये गये आरोप कतई झूठे व
निराधार होने सावित है। सायलान सभी ग्राम डिगरना में नही रहकर अपने मूल निवास
स्थान गांव में रहते है। इस प्रकार से सायलान ने महज प्रार्थना पत्र पेश करने की
गरज से दिनांक 27.07.2013 का उल्लेख इस पद में किया है। इस पद में वर्णित
अनुसार जवाब देहन्दा एवं सायलान के बीच दिनांक 27.07.2013 को या अन्य किसी
दिवस पर मुडडागढ्डी व तारबन्दी को लेकर न तो कभी विवाद हुआ न ही ऐसा कोई
कृत्य उस दिन जवाब देहन्दा द्वारा मौके पर किया गया था। बल्कि खरीद के बाद से
ही जवाब देहन्दा बतौर मालिक व भौक्ता के रूप में इस खरीद सुदा भूमि पर कब्जा है
। इस प्रकार से इस भूमि के बावत जवाब देहन्दा ने सायलान से कभी भी लड़ाई
झगड़ा व विवाद नही किया है इसलिये मल्टीप्लीसीटी ऑफ पोसिडिंग होने के कथन भी
कतई गलत है। न ही सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का
अधिकारी है। इस प्रकार से सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई गलत होने
से अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य झूठे
बेवूनियाद होने से अस्वीकार है। पद संख्या 05 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व
बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। बलकि वास्तविकता में इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा
नम्बरान की भूमि के रेकर्डेड [illegible] खातेदार काश्तकार बस्ताराम द्वारा ही अपनी
जायज जरूरत हेतु जरिये पंजीबद्ध बैचान वि[illegible] प्रतिफल की राशि लेते हुये जवाब
देहन्दा को इस प्रार्थना पत्र में [illegible] किया है। तत्पश्चात सायलान ने
बस्ताराम से आपस में दुर्भीसन्धी करते हुये [illegible] निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है।
साथ ही बस्ताराम द्वारा जवाब देहन्दा के पक्ष में किये गये पंजीबद्ध बैचान सम्पति
हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार विधीक है। जिसे सायलान ने किसी भी
सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति नही दी है। इस प्रकार से वर्ष 2011 में किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बैचान रिकॉर्ड ऑफ राईट से सम्बन्धित विधिक दस्तावेजात है। जिसे शून्य घोषित करने का राजस्व न्यायालय को कोई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। इस प्रकार इस भूमि के बाबत जवाब देहन्दा ने सायलान से कभी भी लड़ाई झगड़ा व विवाद नही किया है इसलिये मल्टीप्लीसीटी ऑफ प्रोसिडिंग होने के कथन भी कतई गलत है। न ही सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार से सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य झूठे बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सायलान का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था, न ही वर्तमान में है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थीतियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायलान ने इस प्रार्थना में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होनें से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होनें से अस्वीकार है। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रार्थनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होनें एवं इसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रीयों का भी पिता की सम्पति में पुत्र के समान हक एवं अधिकार निहित होनें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् दावा प्रस्तुत किया है जो न्यायालय हाजा में जैरकार है। मूल दावे के अनुतोष के सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि प्रार्थीगण मृतक खातेदार भोमाराम की पुत्रीयां होनें एवं पिता के फौत होने पर पिता की वादग्रस्त आराजी में इनके हक एवं अधिकारों को दरकिनार करते हुये केवल पुत्र बस्ता के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का शपथपत्र पर कथन किया है। साथ ही मृतक भोमा की वंश वृक्षावली भी प्रस्तुत कि है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन किया है, तथा वादग्रस्त आराजी के बस्ताराम के स्वअर्जित खातेदारी भूमि होनें, प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होनें, अप्रार्थी द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख वादग्रस्त आराजी क्रय करनें उक्त बैचान विलेख को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जानें आदि के आधार पर प्रार्थनापत्र खारिज करनें का [illegible] किया है, लेकिन चुंकि प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा से सम्बन्धित है तथा [illegible] किये मृत पिता की सम्पति में हक के लिये पुत्रों के समान पुत्रीयों [illegible] घोषणा की मांग से सम्बन्धित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बर[illegible] साबित होता है।

2. सुविधा का सतुंलन :- चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मृत पिता की होनें तथा ऐसी आराजी में पुत्र के समान पुत्रीयों का अधिकार निहित होनें से सम्बन्धित है। अतः सुविधा का सतुंलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

3. ***अपूर्णनीय क्षति*** :– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू–अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में भू अभिलेख में अप्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अर्न्तगत निर्वसीयत मृत पिता की सम्पति में पुत्र के समान पुत्रीयां का हक एवं अधिकार निहित होनें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् दावा प्रस्तुत किया जो जैरकार है तथा वाद के निस्तारण तक यदि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो यह पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण या अन्य क्रियाकलाप किया जा सकता है, जिसका सीधा प्रभाव यदि वाद प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री होता है तो प्रार्थीगण पर ही पड़ेगा तथा ऐसी स्थिति में अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को होना संभव है। अतः बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष होना साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण न करें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 725 रकबा 03–12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 726 रकबा 03–16 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 800/3 रकबा 02–10 बीघा किस्म गैरमुमकिन, खसरा नम्बर 805/2 रकबा 05–00 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 806 रकबा 02–15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 810 रकबा 05–07 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1211/800 रकबा 15–19 बीघा किस्म बारानी दोयम का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी जैतारण

निर्णय आज दिनॉक 30/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)